# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 412/2022
अनवान : –

1. अमनदीप पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जरिये नाबालिग बली माता खुद रितुबाला पत्नी शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. अरविन्द पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जरिये नाबालिग बली माता खुद रितुबाला पत्नी शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. शेराराम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयन कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक: 19/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरिराम के नाम दर्ज थी हरिराम के देहान्त के बाद विरासतन प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। इसलिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री खुडिया उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी स0 1 ने निवेदन किया की पैरवी नही करना चाहते है इसलिए प्रतिवादी स0 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की मैरिट के आधार पर वाद का निस्तारण किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है. में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....19/09/25. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 412 / 2022
अनवान : –

1. अमनदीप पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जरिये नाबालिग बली माता खुद रितुबाला पत्नी शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. अरविन्द पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जरिये नाबालिग बली माता खुद रितुबाला पत्नी शेराराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. शेराराम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयन कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 933 सन 2025 निर्णय दिनांक** 19/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगध्स साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580 / 557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested